न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **40/2022** दायर दिनाँक **07.02.2022**

वादी		प्रतिवादी
1. सुल्तान खां पुत्र सुलेमान खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अशोक भाकर वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **28.02.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा डीडवाना के खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा की वर्तमान खातेदारी अमतु बानों पत्नी मालु खां जाति कायमखानी निवासी निम्बी कंला तहसील डीडवाना हाल निवासी जोधपुर के नाम से दर्ज है। उक्त खातेदार अमतु बानों का वर्तमान में देहान्त हो चुका है। खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा के तत्तसमय खातेदार फुले खां वल्द बगतावर खां व नाबालिक रावत खं पुत्र बख्तावरखां (जरिये संरक्षक फुले खां वल्द बगतावर खां) समस्त जाति कायमखानी निवासीगण डीडवाना ने दिनांक 22.06.1955 को खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा में से 30 बीघा भूमि का रजिस्ट्रर्ड बेचान मालु खां पुत्र सब्दल खां जाति कायमखानी निवासी निम्बी कंला को सप्रतिफल करके उक्त विक्रित भूमि पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख की प्रति वाद के साथ प्रस्तुत है।

खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि के रजिस्ट्रर्ड क्रेता मालु खां द्वारा दिनांक 02.08.1969 को [illegible] 30 बीघा का उम्मेदखां पुत्र लाब्दी खां जाति कायमखानी निवासी निम्बी [illegible] के जरिये विक्रय पत्र बैचाण करके कब्जा उम्मेद खां को सुपुर्द कर दिया था। उक्त विक्रय पत्र की प्रति वाद के साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:16:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उम्मेद खां द्वारा उक्त 30 बीघा भूमि का बैचाण दिनांक 16.04.1998 को वादी को सप्रतिफल करके उक्त 30 बीघा भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया था। तब से लेकर आज तक भूमि पर वादी ही काबिज चला आ रहा है। वादी ने खेत खसरा सं0 805 की भूमि में से 30 बीघा भूमि के बैचाण इर्दकरारनामा दिनांक 16.04.1998 के संबंध में महानिरीक्षक महोदय (मुद्रांक) वृत अजमेर के यहां आवेदन कर उक्त ईकरारनामा को प्रकरण संख्या 196/2021 निर्णय दिनांक 13.01.2022 से पूर्ण मुद्रांकित करवा लिया है। उक्त ईकरारनामा पूर्ण मुद्रांकित की प्रति वाद के साथ पेश है।

खेत खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा में से 30 बीघा भूमि में वर्तमान में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं होने से वादी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा वादी ने उक्त खेत की खातेदारी हेतु तहसील कार्यालय में सम्पर्क किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी को कहा गया कि वह सक्षम न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करके उक्त खेत भूमि में अपनानाम बतौर खातेदार घोषित करवा ले अन्यथा उसको बेदखल कर दिया जायेगा। इसलिए वादी की और से प्रतिवादी के विरूद्ध 30 बीघा भूमि बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाने हेतु यह वाद पत्र वास्ते घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी होने से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना वादी है कि मौजा डीडवानाके खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा में से 30 बीघा भूमि में वादी का नाम बतौर स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती सादर फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा पूर्व में महकमा कस्टोडियन भारत सरकार के नाम दर्ज था। उक्त खसरा नामा0 सं0 3829/8.6.2011 के आदेश से राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हुआ। तत्तपश्चात उक्त खसरा जरिये नामा0 4149/09.05.2013 के द्वारा राजस्थान सरकार से नगर पालिका मण्डल डीडवाना के नाम स्वीकृत हुआ। नामा0 सं0 4149/24.09.2014 से राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हुआ। खसरा सं0 805 की खातेदारी जरिये नामान्तरकरण संख्या 4814 दिनांक 03.01.2020 द्वारा अमतु [illegible] निवासी निम्बी कंला हाल निवासी जोधपुर खातेदार के [illegible] दर्ज [illegible] खसरा सं0 805 की खातेदारी अ[illegible] नाम से दर्ज है तथा मौके पर खाली पडी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:16:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी ने उक्त जायगा जरिये इकरारनामा से मालु खां से खरीद किया था। उक्त 30 बीघा भूमि के बैचाण इर्दकरारनामा दिनांक 16.04.1998 के संबंध में महानिरीक्षक महोदय (मुद्रांक) वृत अजमेर के यहां आवेदन कर उक्त ईकरारनामा को प्रकरण संख्या 196/2021 निर्णय दिनांक 13.01.2022 से पूर्ण मुद्रांकित करवा लिया है। इकरारनामा पूर्ण मुद्रांकित होने के बाद उक्त जायगा का दस्तावेज पंजीयन माना जाता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डीडवाना के खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा में से 30 बीघा भूमि वादी के नाम घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **28.02.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:16:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **40/2022** दायर दिनाँक **07.02.2022**

वादी		प्रतिवादी
1. सुल्तान खां पुत्र सुलेमान खां जाति कायमखानी निवासी डीडवाना तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **28.02.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोक भाकर वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डीडवाना के खसरा सं0 805 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा में से 30 बीघा भूमि वादी के नाम घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.02.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:16:53 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा.... की कमीशन.... चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner